महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

Ministry of Education ([redacted], भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन–456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

Ministry of Education ([redacted], Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं.17-3/2019(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक : 19.07.2022

कार्यालय आदेश – 1157

विषय : प्रतिष्ठान से अनुदानित वेद पाठशालाओं में अध्यापनरत आधुनिक विषय अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में ।

प्रतिष्ठान द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों में अनुदानित वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों को आधुनिक विषयों (1) संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन (2) गणित एवं अंग्रेजी का अध्यापन कराने हेतु प्रतिष्ठान द्वारा वेदपाठशालाओं में आधुनिक विषय अध्यापक को मानदेय प्रदान किया जाता है। प्रतिष्ठान द्वारा (1) संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन हेतु एक अध्यापक को मानदेय एवं (2) गणित एवं अंग्रेजी विषय के अध्यापन के लिए एक अध्यापक को मानदेय जारी करने का प्रावधान है।

प्रतिष्ठान द्वारा गणित+अंग्रेजी एवं संस्कृत+सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है ।

क्र.सं.	विषय	अनिवार्य योग्यता	योग्य नहीं हैं ।	टिप्पणी
1	संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन	संस्कृत विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (शास्त्री /बी.ए. -संस्कृत विषय) डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। साथ में स्नातक स्तर में सामाजिक अध्ययन विषय – इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र में से किसी एक विषय का अध्ययन आवश्यक है ।	स्नातक में केवल सामाजिक अध्ययन (बी.ए.–सामाजिक अध्ययन) होने पर संस्कृत + सामाजिक विषय का अध्यापन कराने हेतु मान्य नहीं हैं ।	संस्कृत एवं सामाजिक विषय में अध्यापन हेतु प्रथम विषय संस्कृत एवं द्वितीय विषय सामाजिक अध्ययन है।संस्कृत अध्यापक को ही सामाजिक अध्ययन विषय का अध्यापन कराना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 (NEP-2020) अनुसार सुलभ मानक संस्कृत एवं संस्कृत सम्भाषण दक्षता होनी चाहिए ।
2	गणित एवं अंग्रेजी	गणित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक गणित विषय (बी.एस.सी.- फिजिक्स-केमेस्ट्री, मेथ्स) में डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। साथ में स्नातक स्तर में अंग्रेजी एक भाषा के रूप में अध्ययन आवश्यक है ।	स्नातक में अंग्रेजी विषय (बी.ए. –अंग्रेजी) होने पर गणित+अंग्रेजी विषय का अध्यापन कराने हेतु मान्य नहीं हैं ।	गणित एवं अंग्रेजी में अध्यापन हेतु प्रथम विषय गणित एवं द्वितीय विषय अंग्रेजी है। गणित विषय अध्यापक को ही अंग्रेजी का अध्यापन कराना अनिवार्य है ।

निरन्तर....

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734-2502253)

E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

3	आयु सीमा	(1) संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन तथा (2) गणित एवं अंग्रेजी अध्यापक हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है ।
4	मानदेय	(1) संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन अध्यापक – रू. 28,000/- प्रतिमाह (2) गणित एवं अंग्रेजी अध्यापक – रू. 16,000/- प्रतिमाह (प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित समस्त नियमावली के अनुपालन एवं मंत्रालय से बजट की उपलब्धता होने पर)
5	वरीयता	(1) संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन अध्यापक को स्नातकोत्तर (एम.ए. / आचार्य –संस्कृत विषय में होने पर) तथा बी.एड. होने पर वरीयता प्रदान की जाती है । (2) गणित एवं अंग्रेजी अध्यापक को स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. –गणित विषय में होने पर) तथा बी.एड. होने पर वरीयता प्रदान की जाती है ।
6	अतिरिक्त वांछनीय योग्यता	सभी आधुनिक विषय अध्यापक नियमित रूप से योग, संगणक, कौशल, आगे के अध्ययन तथा जीवन मूल्य पर छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे ।

यह ध्यान में आया है, कि प्रतिष्ठान द्वारा वेदपाठशालाओं में जिन आधुनिक विषय अध्यापकों को मानदेय जारी किया जा रहा है, उन अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप नहीं हैं । अत: प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशाला में कार्यरत (1) संस्कृत+सामाजिक विषय अध्यापक (2) गणित+अंग्रेजी विषय अध्यापक क्रमश: संबंधित विषय संस्कृत एवं गणित में न्यूनतम स्नातक स्तर तक शैक्षणिक योग्यता एवं बी.एड. प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें । अन्यथा प्रतिष्ठान द्वारा उन अध्यापकों हेतु पाठशालाओं के बैंक खातें में मासिक अनुदान जारी नहीं किया जाएगा ।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सचिव के निजी सचिव, मसारावेविप्र
(2) डा. अनूप कुमार मिश्र, अनुभाग अधिकारी
(3) प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशाला अध्यापकों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ ।
(4) समस्त वेदपाठशाला डीलिंग असिस्टेंट ।
(5) कार्यालय आदेश पत्रावली